



**वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)**

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता ~~श्री~~ बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड, रायपुर द्वारा नारायणपुर वनमंडल के ग्राम छोटे डोंगर स्थित वन कक्ष क्रमांक 252, 267, 268, 269, वर्तमान में 2185, 2184, 2180, 2179 में कुल रकबा 57.00 हे. वन भूमि खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा एवं कक्ष क्रमांक पी 2217, पी 2226, 2182, 2181, 2180, 2184, 2183 एवं 2188 के 9.020 हे. पहुंच मार्ग निर्माण के लिए कुल 66.020 हे. वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देश अनुसार मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त के अभिमत से सहमत होते हुए खनिपट्टा एवं मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित कुल 66.020 हे. के व्यपवर्तन प्रस्ताव पर निम्न शर्तों के साथ स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है:-

- i) खदान के कर्मचारियों एवं मजदूरों हेतु गैस सप्लाई की जाये ताकि जलाह: हेतु वनों पर दबाव न पड़े।
- ii) इस खदान में कार्य करने वाले कर्मचारियों हेतु आवासीय भवन का निर्माण सुनिश्चित किया जाये ताकि अस्थाई निर्माण हेतु वनों पर दबाव न पड़े।
- iii) सेफ्टी जोन क्षेत्र में 6 फीट ऊंची रिकायल बारबेड वायर फैसिंग की जानी होगी जिससे वन क्षेत्र की सुरक्षा हो सके।
- iv) वन्य प्राणी हाथी के प्रबंधन हेतु उपयुक्त वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार की जाए जिसके प्रावधानों का क्रियान्वयन आवेदक संस्थान के व्यय पर किया जाए।

दिनांक: 27/08/2020

स्थान: रायपुर


(राकेश चतुर्वेदी)
 प्रधान मुख्य वन संरक्षक
 प्रधान वन संरक्षण
 छत्तीसगढ़, रायपुर



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, अटल नगर, रायपुर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-230/ 1574

रायपुर, दिनांक 27/08/2020

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
अटल नगर, नवा रायपुर

विषय:- Diversion of forest land for non-purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Chhotedonager Iron Ore Mines M/s Shri Bajrang Power & Ispat Ltd. Have been granted with Mining lease for Iron ore over an Area - 66.020 ha. regarding.

संदर्भ:- पंजीयन क्रमांक:- FP/CG/MIN/11479/2015
मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त का पत्र क्रमांक/ मा.चि./ न. क्र. 150/ 2020 /1631 दिनांक 04.07. 2020 एवं पत्र क्रमांक 1930 दिनांक 27.07.2020

—000—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में अनुशंसा उपरांत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोडल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेकलिस्ट बिन्दु क्रमांकवार विवरण निम्नानुसार है:-

बि.क्र. 1. आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 1) - आवेदनकर्ता श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड, रायपुर द्वारा नारायणपुर वनमंडल के ग्राम छोटे डोंगर स्थित वन नारंगी कक्ष क्रमांक P-2217A, P2226A रकबा 4.150 एवं कक्ष क्रमांक आर.एफ 2185, 2184, 2180, 2179, 2182, 2181, 2180 एवं 2188 के 61.870 में कुल रकबा 66.020 हे. वन भूमि लौह अयस्क का खनिपट्टा एवं पहुंच मार्ग निर्माण के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत फार्म A भाग 1 तथा आफलाईन विवरण देते हुए मांग रखी गई है। आवेदित वन भूमि में कार्य का वर्गीकरण निम्नानुसार है -

लौह अयस्क उत्खनन	पहुंच मार्ग निर्माण	योग रकबा
57.00	9.020 हे.	66.020 हे.

बि.क्र. 2. प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ 2 से 3) - वनमंडलाधिकारी द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक FP/CG/MIN/11479/2015 आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि कार्यालयीन पत्र दिनांक 25.10.2016 के आधार पर की जाती है। आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन शुल्क 6000/- एवं प्रोसेसिंग शुल्क 1,75,000/- जमा कराये गये हैं।

बि.क्र. 3. वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 4 से 5) – खनि पट्टा एवं पहुंच मार्ग के लिए व्यपवर्तन हेतु आवेदित 66.020 हे. वन भूमि का विवरण दर्शित है जो आवेदक संस्थान तथा वन मंडलाधिकारी नारायणपुर द्वारा हस्ताक्षरित है।

बि.क्र. 4. गैर वनक्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 6) – प्रस्ताव में गैर भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।

बि.क्र. 5. व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ 7 से 8) – व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित 66.020 हे. वन भूमि का सर्वे आफ इंडिया की टोपोशीट 1:50000 स्केल पर दिखाया गया है। मानचित्र वन मंडलाधिकारी नारायणपुर द्वारा हस्ताक्षरित है।

बि.क्र. 6. वनक्षेत्र का इण्डेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ 9 से 10) – वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है। जो वन मंडलाधिकारी, नारायणपुर वन मंडल द्वारा हस्ताक्षरित है।

बि.क्र. 7. प्रपत्र –4 में प्रस्ताव पृष्ठ 11 से 16) – प्रपत्र– 4 में परियोजना की कुल लागत रु. 1200 लाख (पृ. क्र-11) है। वनमंडलाधिकारी नारायणपुर ने प्रस्ताव को स्वीकृति योग्य माना है तथा उल्लेख किया गया है कि दूसरे सभी विकल्पों का परीक्षण कर लिया गया है और आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

बि.क्र. 8. प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ 17 से 26) – यूजर एजेंसी द्वारा परियोजना की विस्तृत टीप दी गई है। आवेदित क्षेत्र अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ खदान संचालित होने पर खनन कार्य में स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा तथा आश्रित ग्रामों एवं आस-पास के क्षेत्र में लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगी।

बि.क्र. 9. वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 27 से 28) – आवेदित वन क्षेत्र के एवज में बलरामपुर जिले के ग्राम बाटा, टाटीझरिया, सोनपुर एवं डूमरखोली में समतुल्य निजी भूमि रकबा 66.02 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि जमा करने हेतु आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 10. न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 29 से 30) – खनि पट्टा एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र रकबा 66.02 हे. का मांग आवश्यक एवं न्यूनतम है, इस आशय का वन मंडलाधिकारी, नारायणपुर का वचन पत्र संलग्न है। तीन विकल्पों का परीक्षण चेक लिस्ट-43 पर है।

बि.क्र. 11. पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 31 से 32) – आवेदक संस्थान के कथन अनुसार भारत सरकार, खान मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा पूर्वानुमोदन प्राप्त हुआ है। उक्त क्षेत्र का टी.ओ.आर प्राप्त होने के उपरांत म. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा पर्यावरण स्वीकृति उपरांत विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जायेगी।

बि.क्र. 12. वृक्ष विदोहन विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 33 से 58) – आवेदित क्षेत्र में खनि पट्टा हेतु प्रस्ताव 57.00 हे. में 19095 नग एवं पहुंच मार्ग हेतु प्रस्तावित रकबा 9.020 हे. में 3265 नग ; कुल 22,360 नग विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों का विदोहन किया जाना प्रस्तावित है।

बि.क्र. 13. कास्ट / बेलिफिट ऐनालिसिस (प्रस्ताव पृष्ठ 59 से 63) – कास्ट बेनिफिट ऐनालिसिस संलग्न है। जो वन मंडलाधिकारी, नारायणपुर वन मंडल द्वारा सत्यापित है।

बि.क्र. 14. चयनित गैर वनक्षेत्र / निजी भूमि (पंचशाला खसरा कि नकल मानचित्र सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) (प्रस्ताव पृष्ठ 64) – व्यपवर्तन हेतु प्राप्त प्रस्ताव में वन भूमि के अतिरिक्त गैर वन क्षेत्र / निजी भूमि एवं राजस्व क्षेत्र की मांग नहीं की गई है।

बि.क्र. 15. गैर वनक्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा (प्रस्ताव पृष्ठ 65) – प्रस्तावित क्षतिपूर्ति परियोजना निजी भूमि में प्रस्तावित होने के कारण गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शे की आवश्यकता नहीं है ऐसा लेख किया गया है।

बि.क्र. 16. स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्रस्ताव पृष्ठ 67 से 130) – स्थल विशेष क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आवेदित वन क्षेत्र के एवज में बलरामपुर जिले के ग्राम बाटा, टाटीझरिया, सोनपुर एवं डूमरखोली में समतुल्य निजी भूमि रकबा 66.02 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की योजना संलग्न है।

बि.क्र. 17. वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 131 से 134) – वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है। यह प्रमाण पत्र वन मंडलाधिकारी बलरामपुर द्वारा दिनांक 30.08.2019 के आधार पर जारी किये गये हैं।

बि.क्र. 18. अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 135) – वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। इस आशय का वन मंडलाधिकारी नारायणपुर वन मंडल का प्रतिवेदन संलग्न है।

बि.क्र. 19. अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 136) – लागू नहीं।

बि.क्र. 20. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ 137) – लागू नहीं।

बि.क्र. 21. वैकल्पित वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 138 से 141) – क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु निजी भूमि का चयन किया गया है वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव द्वारा दिनांक 01.12.2017 से जारी प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 22. कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 142 से 147) – कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान संलग्न है। इस आशय का वन मंडलाधिकारी, नारायणपुर एवं आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 23. रिकलेमेशन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 148 से 153) – संलग्न हैं।

बि.क्र. 24. माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ 154) – भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, नागपुर के पत्र क्रमांक/ NPRFF/ MPLN01159/ NGP दिनांक 21.03.2016 (प्रस्ताव पृष्ठ क्रमांक-154ए.) से अनुमोदित माईनिंग प्लान संलग्न हैं।

बि.क्र. 25. व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 155) — प्रस्तावित क्षेत्र में किसी भी परिवार का पुर्नवास नहीं हो रहा है। अतएव व्यवस्थान प्लान की आवश्यकता नहीं है। इस आशय का आवेदक संस्थान एवं वन मंडलाधिकारी, नारायणपुर वन मंडल का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 26. वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा नाम पदनाम सील एवं दिनांक सहित(प्रपत्र I से IV तक)(प्रस्ताव पृष्ठ 156 से 167) — वन मंडलाधिकारी, नारायणपुर का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 27.12.2019 तथा इसके आधार पर भरा गया भाग-2 संलग्न है। वनो का घनत्व 0.5 से 0.6 बताया गया है। मुख्य वन संरक्षक कांकेर द्वारा वन मंडलाधिकारी के प्रतिवेदन के ऊपर स्वयं के स्थल निरीक्षण दिनांक 04.07.2020 के उपरांत वन मंडलाधिकारी नारायणपुर के सुझावों से सहमति दर्शित की गई है।

बि.क्र. 27. ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण —पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 168) — व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र ऐतिहासिक महत्व स्थल नहीं है वनमंडलाधिकारी, नारायणपुर एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 28. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 169 से 178) — प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्ताव हेतु चयनित वनभूमि के समीप स्थित ग्राम पंचायत, धनौरा एवं कोडोली का अनापत्ति प्रमाण संलग्न है।

बि.क्र. 29. जिले की कुल वनभूमि (रकबा हे. में) (प्रस्ताव पृष्ठ 180) — प्रस्ताव में जिले की कुल वनभूमि 114868.640 हे. का विवरण संलग्न है।

बि.क्र. 30. —1980 अंतर्गत जिले की स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 181) — वन संरक्षण अधिनियम 1980 स्वीकृत 06 प्रकरणों में कुल 431.707 हे. वन भूमि प्रभावित है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 31. —1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 182) — वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत 02 प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वनभूमि 415.400 हे. दर्शित है।

बि.क्र. 32 प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति न होने की जानकारी प्रस्ताव पृष्ठ 183) — आवेदित वनभूमि 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति नहीं है वनमंडलाधिकारी, नारायणपुर वन मंडल का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 33. 15 कि.मी. परिधि के नक्शों में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हाकन (केवल खनन प्रकरण में प्रस्ताव पृष्ठ 184 से 185) — 15 कि.मी. परिधि के नक्शों में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हाकन कर मानचित्र संलग्न है।

बि.क्र. 34. वन अधिकार मान्यता विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव पृष्ठ 186 से 195) — वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की अनुविभागीय अधिकारी, नारायणपुर के दिनांक 29.06.2016 के कार्यवाही विवरण के आधार पर कलेक्टर, जिला नारायणपुर द्वारा दिनांक 25.06.2020 का ग्राम धनोरा एवं कोडोली ग्राम पंचायत के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

बि.क्र. 35. राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 196) — प्रस्ताव में व्यपवर्तन प्रकरण में राजस्व वन भूमि प्रभावित नहीं होने के कारण कलेक्टर के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यक नहीं है।

बि.क्र. 36. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र प्रस्ताव पृष्ठ 197 से 198) — आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 37. Clearance under FC Act,1980 Deposition of funds with the AD-hoc CAMPA : Remittances of precede 2 nd stage Clearance (प्रस्ताव पृष्ठ 199)— आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 38. A detailed note on soil productivity or the lack of it (प्रस्ताव पृष्ठ 200) — व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित 66.020 हे. वन भूमि में कुल 1124 वृक्ष है। इस क्षेत्र की मिट्टी रेतीली दुमट / चिकनी / दुमट/ कंकरीली / लाल लेटेराइट / जलोढ़ मिट्टी है, जिसमें ह्यूमन लगभग सामान्य है तथा पानी को रोकने की शक्ति भी सामान्य है इसलिए मृदा, वृक्षों / वनस्पतियों के लिए उपयुक्त है। इस आशय का वन मंडलाधिकारी एवं आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 39. परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 201) —परियोजना हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में व्यपवर्तन से पूर्व किसी भी प्रकार की भूमि में किसी भी प्रकार की खनन कार्य नहीं किया गया है। वन मंडलाधिकारी, नारायणपुर एवं आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 40. Division of large area (more then 500 ha)of forest land for mining and other non-forestry purposes under the forest (conservation)Act 1980 Stipulation of additipna condition (The user agency shall establish and operate a Vocational Training Institute) (प्रस्ताव पृष्ठ 202) — आवेदित क्षेत्र 500.00 हे. से कम है अतः वोकेशनल प्रशिक्षण संस्थान की आवश्यकता नहीं है। तदुद्देश्य का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 41. पंजयीन क्रमांक (203 से 204) -- चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांक — 2 अनुसार दर्शित है।

बि.क्र. 42. वन्य प्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ —205 से 206) — वन मंडलाधिकारी, नारायणपुर वन मंडल द्वारा अपने पत्र दिनांक 01.02.2017 से व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन्यप्राणी परियोजना तैयार किया जाकर मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त को प्रेषित किया गया है। वन मंडलाधिकारी, नारायणपुर का पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 43. विधुत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा ग्रीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ -207A से 207F)– संलग्न है।

बि.क्र. 44. प्रस्ताव में अन्य (Misc) जानकारी का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 208 से 209) –

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ के अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग-4 सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 3 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:-

1. प्रस्ताव 3 प्रतियों में
2. डी.जी.पी.एस. सर्वे प्रस्तावित क्षेत्र का रिपोर्ट 3 प्रतियों में मय सी.डी.
3. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट 3 सेट में मय सी.डी.
4. टाईम लाईन
5. प्र.मु.व. संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित भाग-4
6. माईनिंग प्लान 3 प्रति में

(प्र.मु.व.संरक्षक द्वारा अनुमोदित)


अ.प्र.मु.व.स (भू- प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़